रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1313] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938
No. 1313] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

का.आ.1901(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसकी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2016 की का.आ.सं. 549(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है:

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अध्याय 13.0: दिल्ली मुख्य योजना की सामाजिक अवसंरचना

1. तालिका 13.17: सामाजिक- सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		भूमि कवरेज	एफ.ए. आर.	ऊंचाई	
6	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र	40 प्रतिशत	120	कोई सीमा नहीं, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई), अग्निशमन विभाग तथा अन्य सांविधिक निकायों के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।	(i) तल क्षेत्रफल के 2 ईसी/100 वर्ग मी0 की दर पर पार्किंग मानक (ii) प्रदर्शनी स्थल, सम्मेलन और बैठक स्थल, तल क्षेत्रफल का न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा। खुदरा व्यापार, कार्यालय स्थल / व्यावसायिक कार्यालय होटल और संबंधित गतिविधियां, तल क्षेत्रफल के अधिकतम 60 प्रतिशत तक होंगी।

2. तालिका 13.27: सामाजिक- सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियां
13.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र	अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक, संगोष्ठी आदि की सभी सुविधाओं से युक्त परिसर	तालिका 13.17 और तालिका 5.5 के अनुसार गतिविधियों की स्वीकार्यता सहित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, प्रर्दशनी स्थल, सम्मलेन और बैठक स्थल, कार्यालय स्थल / व्यावसायिक कार्यालय, खुदरा व्यापार, होटल।

[फा. सं. के-12011/10/2016-डीडी-**I**]

सुनील कुमार**,** अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

S.O. 1901(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 549 (E) dated 22.02.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Chapter 13.0 Social Infrastructure of MPD-2021

Table 13.17: Development Controls for Social-Cultural Facilities

Sl. No.	**Category**	**Maximum**			**Other Controls**
		Ground Coverage	**FAR**	**Height**	
6	International Convention Centre	**40%**	120	NR, subject to approval of AAI, Fire Department and other statutory bodies	i. Parking standard @ 2EC/ 100sqm of floor area. ii. **Exhibition space, Convention and meeting space shall be minimum 40% of floor area. Retail trade, office space/ commercial office, Hotels and related activities shall be upto maximum 60% of floor area.**

2. **Table 13.27: Socio-Cultural and Community Facilities**

Sl. No.	**Use Premises**	**Definitions**	**Activities Permitted**
13	International Convention Centre	A premise having all facilities for international/national conferences, meetings, symposium, etc.	International Convention Centre, **Exhibition space, Convention and meeting space, office space/commercial office, retail trade, Hotels with permissibility of activities as per Table 13.17 and Table 5.5.**

[F.No. K-12011/10/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.